महत्वपूर्ण

संख्या-8/2015/1541/31-2015-76/2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2.समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2015

विषय:- विकास एजेण्डा, वर्ष 2015-16 का जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यान्वयन एवं समीक्षा

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5/2015/1047/31-2015-76/2014 दिनांक 31-3-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शासनादेश में निहित सूत्रों का जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यान्वयन एवं समीक्षा हेतु निर्देश दिए गए हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि उक्त शासनादेश में निहित सूत्रों पर प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं जिनमे से वर्तमान में 71 प्रपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट http://pid.up.nic.in पर उपलब्ध है। शेष 04 एजेण्डा बिन्दुओं के प्रपत्र संख्या-33,35,69 तथा 73 यथाशीध्र निर्धारित कर उपलब्ध करा दिए जाएगें। वेबसाइट पर डाटा इन्ट्री का कार्य जनपद स्तर पर किया जायेगा। मण्डलायुक्त अपने मण्डल के अधीन जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा फीड किये गये आकड़ों की समीक्षा करेंगे, परन्तु मण्डल स्तर पर डाटा में किसी प्रकार का संशोधन नही किया जायेगा। डाटा इन्ट्री हेतु आवश्यक अनुदेश एवं जनपदवार यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड पूर्व में ही उपलब्ध कराये जा चुके हैं। डाटा इन्ट्री के समय यदि किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उस संबंध में एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश के अधिकारी श्री नवीन कपूर को ई-मेल naveen.kapoor@nic.in के माध्यम से अवगत कराये जिसमें समस्या का समाधान यथाशीध्र किया जा सके।

3- समीक्षा हेतु उपलब्ध कराए जा रहे प्रपत्रों को निर्धारित करने में यद्यपि अत्यन्त गम्भीरता एवं सावधानी बरती गयी है, तथापि यह सम्भव है कि इन प्रपत्रों में निर्धारित सूत्रों से सबन्धित कोई महत्वपूर्ण बिन्दु छूट गया हो अथवा कोई बिन्दु प्रासंगिक न हो या उस प्रपत्र को भरने में कोई कठिनाई अथवा समस्या हो। यदि ऐसा है तो उसका स्पष्ट विवरण देते हुए विलोपन, परिवर्द्धन या संशोधन सम्बन्धी अभिमत एवं सुझाव यथाशीध्र कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को प्रेषित कर दिए जाएं ताकि उनका परीक्षण करके प्रपत्र को शुद्व एवं और अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कृपया उपर्युक्त शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार उ0प्र0 के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2015-16 का कार्यान्वयन एवं समीक्षा सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-8/2015/1541(1)/31-2015-76/2014 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव/सचिव संलग्न सूची के अनुसार उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने विभाग से सम्बन्धित सूत्रों/कार्यक्रमों का ससमय कार्यान्वयन हेतु जनपदवार लक्ष्य निर्धारित कर जनपदों को प्रेषित करने का कष्ट करें।
6- तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकार राज्य मुख्यालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्नक प्रपत्रों को वेबसाइट पर यथाशीघ्र अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-8/2015/1541(2)/31-2015-76/2014 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0स0	विभाग का नाम
1	वित्त
2	कृषि
3	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
4	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
5	पशुधन
6	लोक निर्माण
7	ऊर्जा
8	माध्यमिक शिक्षा
9	बेसिक शिक्षा
10	व्यावसायिक शिक्षा
11	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
12	बाल विकास एवं पुष्टाहार
13	समाज कल्याण
14	अल्पसंख्यक कल्याण
15	खाद्य एवं रसद
16	राजस्व
17	श्रम
18	समग्र ग्राम विकास
19	ग्राम्य विकास
20	नगर विकास
21	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
22	गृह
23	नियोजन
24	परिवहन
25	वन
26	युवा कल्याण

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।